राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः टीपीआर 1118/एमपी/माउण्ट आबू/पार्ट-XIII जयपुर, दिनांकः- 19 FEB 2021

आदेश

प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की आवासीय आवश्यकताओं के मध्यनजर माउण्ट आबू ईको-सेंसिटिव जोन हेतु जारी अधिसूचना के विभिन्न निर्देशों, माउण्ट आबू ईको-सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान-2030 के प्रावधानों मय वर्ष-2030 तक प्रस्तावित भू-उपयोग क्षेत्र, माउण्ट आबू (ईको-सेंसिटिव जोन) भवन विनियम-2019, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समय-समय पर जारी निर्देशों मय निर्देश दिनांक 04.12.2006 तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना की जाकर नियंत्रित तरीके से (In a controlled manner) मास्टर प्लान में अनुमोदित उपयोग अनुसार ही कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन, तदुपरान्त निर्माण स्वीकृति के समस्त प्रकरणों की परीक्षण हेतु निम्नांकित अधिकारियों की तकनीकी समिति का गठन किया जाता है:-

1.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	-	संयोजक
2.	संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग	-	सदस्य
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर क्षेत्र	-	सदस्य
4.	सचिव, नगर विकास न्यास, आबू	-	सदस्य सचिव

उक्त समिति की अभिशंषा के अनुरूप तदानुसार सक्षम अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदत्त करने हेतु विचार किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd/-
(पुरुषोत्तम शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव-तृतीय

Scanned with CamScanner